

बिहार विधान परिषद् सचिवालय, पटना

अ.स.प.सं.वि.प.वि.- 49/2026 - 961 (3)/ वि.प. ।

दिनांक- 05.07.2026


प्रिय महोदय / महोदया,

निदेशानुसार सूचित करना है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद-174 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार के माननीय राज्यपाल ने बिहार विधान परिषद् को सोमवार, दिनांक 20 जुलाई, 2026 को 11.00 बजे पूर्वाह्न परिषद् वेश्म, पटना में अधिवेशित होने के लिए आहूत करने की कृपा की है।

आहूत करने से संबंधित अधिसूचना की एक प्रति सहज निदेश हेतु इसके साथ संलग्न है।

अतः अनुरोध है कि नियत तिथि, समय एवं स्थान पर उपस्थित होने की कृपा करें।

भवदीय


3.7.2026

(शंकर कुमार)

प्रभारी सचिव

बिहार विधान परिषद्

सेवा में,

श्री / श्रीमती.....

بہار قانون ساز کاؤنسل سکریٹریٹ، پٹنہ

ا-س-پ-س-وی-پ-وی- (3) 961-2026-49 وی-پ- 5 جولائی، 2026

محترمی / محترمہ

حسب ہدایت اطلاع دینی ہے کہ آئین ہند کے آرٹیکل-174 کی شق (1) کے ذریعہ حاصل اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے، بہار کے عزت مآب گورنر نے بہار قانون ساز کاؤنسل کا اجلاس، سوموار، مورخہ 20 جولائی، 2026 کو 11 بجے کاؤنسل ہال، پٹنہ میں منعقد کرنے کے لئے مدعو کرنے کی عنایت کی ہے۔

منعقد کرنے سے متعلق نوٹیفیکیشن کی ایک کاپی سہل ہدایت کے لئے اس کے ساتھ منسلک ہے۔

لہذا گزارش ہے کہ متعینہ تاریخ، وقت اور مقام پر حاضر ہونے کی عنایت کریں۔

المتمس

21/07/2026
5.7.2026

(شکرکار)

کار گزار سکریٹری
بہار قانون ساز کاؤنسل

بخدمت:

محترمی / محترمہ -----

बिहार सरकार
संसदीय कार्य विभाग

: : अ धि सू च ना : :

संख्या-सं.का.-1/वि.मं.(सत्र)-01-01/2026- 757/ पटना, दिनांक-05.07.2026
बिहार के राज्यपाल का दिनांक 04.07.2026 का निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की सूचना के
लिए इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

“भारत के संविधान के अनुच्छेद 174 के खण्ड (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का
प्रयोग करते हुए मैं, ले ज सय्यद अता हसनैन, बिहार का राज्यपाल, इसके
द्वारा बिहार विधान परिषद् को दिनांक 20 जुलाई, 2026 को 11.00 बजे
पूर्वाह्न में बिहार विधान परिषद् वेशम, पटना में अधिवेशित होने के लिए आहूत
करता हूँ।

पटना,
दिनांक-04.07.2026

ले ज सय्यद अता हसनैन,
राज्यपाल, बिहार।”

ह०/-
(राजेश कुमार)
सरकार के अपर सचिव।

बिहार सरकार
संसदीय कार्य विभाग
: : अ धि सू च ना : :

संख्या-सं.का.-1/वि.मं.(सत्र)-01-01/2026- 758/ पटना, दिनांक-05.07.2026

अधिसूचना सं.-757 दिनांक-05.07.2026 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा :-

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह०/-
(राजेश कुमार)
सरकार के अपर सचिव ।

Government of Bihar
Department of Parliamentary Affairs
: : **NOTIFICATION** : :

Patna, Dated-05.07.2026

No-P.A.-1/V.M. (Session)-01-01/2026-757 / The following order of the Governor of Bihar dated the 04-07-2026 is hereby published for general information :-

“In exercise of the powers under Clause (1) of Article 174 of the Constitution of India, I, Lt Gen Syed Ata Hasnain, Governor of Bihar, hereby summon the Bihar Legislative Council to meet at 11.00 AM on the 20th July, 2026 in the Council Chamber, Patna.

Patna
Dated -04-07-2026

Lt Gen Syed Ata Hasnain,
Governor of Bihar.”

Sd/-
(Rajesh Kumar)
Additional Secy. to Govt.

حکومت بہار
محکمہ پارلیمانی امور

نوٹیفیکیشن

نمبر-س-کا-1/رہی-م(اجلاس)-01-01/2026-757-پٹنہ، مورخہ 5 جولائی، 2026

گورنر بہار کا مورخہ 4 جولائی، 2026 کا درج ذیل حکم عوام کی اطلاع کے لئے اس کے ذریعہ شائع کیا جاتا ہے:

”آئین ہند کے آرٹیکل 174 کی شق (1) کے ذریعہ حاصل اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے میں، ایل جی سید عطا حسنین، گورنر بہار، اس کے ذریعہ بہار قانون ساز کاؤنسل کا اجلاس مورخہ 20 جولائی، 2026 کو 11 بجے دن میں، بہار قانون ساز کاؤنسل ہال، پٹنہ میں منعقد کرنے کے لیے مدعو کرتا ہوں۔“

ایل جی سید عطا حسنین

پٹنہ

گورنر، بہار“

مورخہ 4 جولائی، 2026

دستخط

(راجیش کمار)

حکومت کے ایڈیشنل سیکریٹری

حکومت بہار
محکمہ پارلیمانی امور

نوٹیفیکیشن

نمبر-س-کا، 1/روی م (اجلاس) 01-01/2026-758 رپٹنہ، مورخہ 5 جولائی، 2026

نوٹیفیکیشن نمبر-757، مورخہ 5 جولائی، 2026 کا انگریزی میں درج ذیل ترجمہ گورنر بہار کے اختیار سے اس کے ذریعہ شائع کیا جاتا ہے، جو آئین ہند کے آرٹیکل-348 کی شق (3) کے تحت انگریزی میں اس کا اختیار یافتہ حصہ سمجھا جائے گا:

گورنر بہار کے حکم سے

دستخط

(راجیش کمار)

حکومت کے ایڈیشنل سیکریٹری

GOVERNMENT OF BIHAR

DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS

NOTIFICATION

Patna, Dated-05.07.2026

No.-P.A.-1/V.M.(Session)-01-01/2026-757 / The following order of the Governor of Bihar, dated the 04.07.2026 is hereby published for general information:

"In exercise of the powers under Clause (1) of Article 174 of the Constitution of India, I, Lt Gen Syed Ata Hasnain, Governor of Bihar, hereby summon the Bihar Legislative Council to meet at 11.00 A.M. on the 20th July, 2026 in the Council Chamber, Patna.

Patna,
Dated 04.07.2026

Lt Gen Syed Ata Hasnain,
Governor of Bihar."

Sd/-

(Rajesh Kumar)
Additional Secy. to Govt.

बिहार विधान परिषद् के 213वें सत्र का औपबंधिक कार्यक्रम
जुलाई, 2026

सोमवार, दिनांक 20 जुलाई, 2026

1. शपथ या प्रतिज्ञान ग्रहण (यदि हो)
2. बिहार विधान मंडल के सत्र में नहीं रहने की अवधि में माननीय राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों की प्रमाणीकृत प्रतियों का सदन पटल पर रखा जाना (यदि हो)
3. वित्तीय वर्ष 2026-2027 की प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी का उपस्थापन
4. शोक प्रकाश (यदि हो)

मंगलवार, दिनांक 21 जुलाई, 2026

गैर सरकारी सदस्यों के कार्य (गैर सरकारी संकल्प)

बुधवार, दिनांक 22 जुलाई, 2026

वृहस्पतिवार, दिनांक 23 जुलाई, 2026

राजकीय विधेयक एवं अन्य राजकीय कार्य

शुक्रवार, दिनांक 24 जुलाई, 2026

वित्तीय वर्ष 2026-27 की प्रथम अनुपूरक व्यय-विवरणी पर सामान्य वाद-विवाद, सरकार का उत्तर एवं तत्संबंधी विनियोग विधेयक

بہار قانون ساز کاؤنسل کے ۲۱۳ ویں اجلاس کا عارضی پروگرام

جولائی ۲۰۲۶

- سوموار، مورخہ ۲۰ جولائی، ۲۰۲۶: (۱) حلف برداری یا عہد (اگر ہو)
- (۲) بہار قانون سازی کے اجلاس میں نہیں رہنے کی مدت میں عزت مآب گورنر کے ذریعہ جاری کردہ فرمانیہ (آرڈی نینسوں) کی تصدیق شدہ کاپیوں کا ایوان کی میز پر رکھا جانا (اگر ہو)
- (۳) مالی سال ۲۰۲۶-۲۰۲۷ کے پہلے ضمنی بجٹ کی پیشی
- (۴) اظہار تعزیت (اگر ہو)

منگل، مورخہ ۲۱ جولائی، ۲۰۲۶: غیر سرکاری اراکین کے امور (غیر سرکاری ریزولوشن)

بدھ، مورخہ ۲۲ جولائی، ۲۰۲۶: سرکاری بل اور دیگر سرکاری امور

جمعرات، مورخہ ۲۳ جولائی، ۲۰۲۶:

جمعہ، مورخہ ۲۴ جولائی، ۲۰۲۶: مالی سال ۲۰۲۶-۲۷ کے پہلے ضمنی بجٹ پر عام بحث، حکومت کا جواب اور اس سے متعلق تصرف بل

बिहार विधान परिषद् सचिवालय, पटना
पत्रांक - वि.प.वि. - 49/2026 - 962 / (3) वि.प. ।

प्रेषक :

शंकर कुमार
प्रभारी सचिव
बिहार विधान परिषद्

सेवा में,

बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण,

पटना, दिनांक -05.07.2026

विषय :- भारतीय संविधान के अधीन संघटित बिहार विधान परिषद् के 213वें सत्र (माह जुलाई, 2026 के लिए अस्थायी कार्यक्रम)

महोदय / महोदया,

सोमवार, दिनांक - 20 जुलाई, 2026 से प्रारम्भ होनेवाली बिहार विधान परिषद् की बैठकों में सम्पादित होनेवाले कार्यों को निपटाने के लिए नियत तिथियों के साथ अस्थायी कार्यक्रम संलग्न किया जाता है :

राजकीय विधेयक : बुधवार, दिनांक - 22 जुलाई, 2026 एवं वृहस्पतिवार, दिनांक 23 जुलाई, 2026 को सभा अथवा सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजकीय विधेयक उस श्रेणी के कार्य के लिए नियत तिथि की कार्यावली में उसी क्रम में रखे जाएंगे, जो बिहार विधान परिषद् की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम-20 (1) के अधीन सदन नेता के परामर्श से माननीय सभापति निदेशित करेंगे।

विराजकीय दिन : केवल एक दिन मंगलवार, दिनांक 21 जुलाई, 2026 को विराजकीय कार्य निपटाने के लिए नियत किया गया है।

माननीय सभापति, बिहार विधान परिषद् ने दिनांक 21 जुलाई, 2026 को विराजकीय संकल्प निपटाने तथा सचिव के कार्यालय वेश्म में शलाका द्वारा प्राथमिकता निर्धारित करने हेतु तिथियां निम्नवत् नियत की है :

विराजकीय संकल्प पर
विचार करने की तिथि

मंगलवार, दिनांक -
21 जुलाई, 2026

संकल्प प्राप्ति की
अंतिम तिथि

शुक्रवार, दिनांक 10 जुलाई,
2026 को 5.00 अपराह्न तक


शलाका की तिथि

मंगलवार, दिनांक 14 जुलाई,
2026 को 5.00 अपराह्न

किसी विशेष तिथि की कार्यावली के लिए शलाका में किसी भी सदस्य का एक ही श्रेणी का एक से अधिक प्रस्ताव अथवा संकल्प समाविष्ट नहीं किया जाएगा।

आशा है, आप ऐसे संकल्प की प्रतियां और कार्य सूची सहित अन्य पत्र या प्रतिवेदन, जो परिषद् सचिवालय द्वारा आपको समय-समय पर भेजे जाएं, सत्र में निदेश के लिए साथ लाने की कृपा करेंगे।

विश्वासभाजन


5.7.2026

(शंकर कुमार)


प्रभारी सचिव

बिहार विधान परिषद्

ज्ञापांक-वि.प.वि.- 49/2026- 962 (3) / वि.प.।

दिनांक - 05.07.2026

प्रतिलिपि : बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण / माननीय मुख्यमंत्री, बिहार / माननीय उप मुख्यमंत्री द्वय, बिहार / माननीय मंत्रीगण / माननीय मुख्यमंत्री के आवासीय कार्यालय / मुख्यमंत्री सचिवालय (चार प्रतियों में) / माननीय राज्यपाल, बिहार के सचिव / माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान सभा के आवासीय कार्यालय एवं बिहार विधान सभा स्थित कार्यालय वेशम / प्रभारी सचिव, बिहार विधान सभा, पटना / लोकायुक्त, बिहार / महाधिवक्ता, बिहार / बिहार सरकार के सभी विभाग एवं विभागाध्यक्ष / सभी राज्यों के विधान मंडलों के सचिव/ लोकसभा तथा राज्यसभा सचिवालय, नई दिल्ली / पुस्तकालयाध्यक्ष, संसद भवन, नई दिल्ली / बिहार विधान मंडल पुस्तकालय, पटना / निदेशक, सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग, बिहार / अधिष्ठान निदेशक, आकाशवाणी, पटना / समाचार संपादक, दूरदर्शन केन्द्र, पटना / उप सचिव, नेवा सेल / जन-सम्पर्क पदाधिकारी एवं प्रभारी, नेवा सेल, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


05.07.26

(मिथिलेश कुमार)

उप सचिव

बिहार विधान परिषद्

بھار قانون ساز کاؤنسل سکریٹریٹ، پٹنہ

مکتوب نمبر-وی۔ پی۔ وی۔ (3)-962-491/2026 وی پ

مُرسل:

شکرکار

کارگزار سکریٹری

بھار قانون ساز کاؤنسل

بخدمت،

معزز اراکین، بھار قانون ساز کاؤنسل

پٹنہ، مورخہ 05.07.2026

موضوع: آئین ہند کے تحت تشکیل بھار قانون ساز کاؤنسل کے 213 ویں اجلاس (ماہ جولائی، 2026) کے لیے عارضی پروگرام

محترمی / محترمہ

مورخہ 20 جولائی، 2026 سے شروع ہونے والی بھار قانون ساز کاؤنسل کی نشستوں میں انجام پانے والے امور کو نپٹانے کے لئے مقررہ تاریخوں کے ساتھ عارضی پروگرام منسلک کیا جاتا ہے:

سرکاری بل: بدھ، مورخہ 22 جولائی، 2026 اور جمعرات، مورخہ 23 جولائی، 2026 کو اسمبلی یا حکومت کے ذریعہ موصول سبھی سرکاری بل اس درجہ کے کام کے لئے مقررہ تاریخ کے ایجنڈا میں اسی ترتیب میں رکھے جائیں گے جو بھار قانون ساز کاؤنسل کے ضابطہ نامہ طریق کار اور دستور العمل کے ضابطہ (1) 20 کے تحت ایوان کے لیڈر کے مشورے سے عزت مآب چیرمین ہدایت دیں گے۔

غیر سرکاری دن: صرف ایک دن منگل، مورخہ 21 جولائی، 2026 کو غیر سرکاری کام نپٹانے کے لئے متعین کیا گیا ہے۔

عزت مآب چیرمین، بھار قانون ساز کاؤنسل نے مورخہ 21 جولائی، 2026 کو غیر سرکاری ریزولوشن نپٹانے اور سکریٹری کے چیئرمین فرعا اندازی کے ذریعہ اولیت متعین کرنے کے لیے حسب ذیل تاریخیں متعین کی ہیں:

غیر سرکاری ریزولوشن پر غور کرنے کی تاریخ	ریزولوشن موصول ہونے کی آخری تاریخ	قرعا اندازی کی تاریخ
منگل، مورخہ 21 جولائی، 2026	جمعہ، مورخہ 10 جولائی،	منگل، مورخہ 14 جولائی،
	2026 کو 5 بجے شام تک	2026 کو 5 بجے شام

کسی مخصوص تاریخ کے ایجنڈا کے لئے قرعا اندازی میں کسی بھی رکن کی ایک ہی درجے کی ایک سے زیادہ تجویز یا ریزولوشن شامل نہیں کیا جائے گا۔ امید ہے، آپ ایسے ریزولوشن کی کاپیاں اور فہرست امور سمیت دیگر مکتوب یا رپورٹ، جو کاؤنسل سکریٹریٹ کے ذریعہ آپ کو وقتاً فوقتاً بھیجی جائیں اجلاس میں ہدایت کے لئے ساتھ لانے کی عنایت کریں گے۔

الملتس

شکرکار

(شکرکار)

کارگزار سکریٹری

بھار قانون ساز کاؤنسل